रजिस्ट्री पर QR स्कैन करते ही मिलेगी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी

पूरे प्रदेश में शुरू होगी प्रक्रिया, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कदम

AI Image

NBT रिपोर्ट, लखनऊ : प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर फर्जीवाड़ा न हो सके, इसके लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्यूआर कोड रजिस्ट्री के हर पन्ने पर होगा। जिसे स्कैन करके संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकेगी। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार संपत्ति के स्वामित्व के लिए क्यूआर कोड आधारित सत्यापन शुरू करेगी। कोई भी व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन करके संपत्ति के मालिकाना हक, संपत्ति का पूरा विवरण, पिछले लेनदेन और विक्रेता कानूनी रूप से प्रस्तावित पूरे क्षेत्र को बेचने का हकदार है या नहीं, यह जान सकेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में ये व्यवस्था कुछ कार्यालयों में है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

तुरंत खरीदार का नाम होगा अपडेट : स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि वर्तमान में पंजीकरण के बाद खरीदार का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने में 35-40 दिन लगते है, जल्द ही लेनदेन को अंतिम रूप देने से पहले रेकॉर्ड सत्यापित करने के लिए पंजीकरण कार्यालयों में राजस्व अधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के तुरंत बाद खरीदार का नाम अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें तुरंत मालिकाना हक मिल जाएगा।

₹500-1,000 में बनेगा रेंट एग्रीमेंट : रेंट एग्रीमेंट की प्रक्रिया को भी आसान बनाने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग काम कर रहा है। रेंट एग्रीमेंट के पंजीकरण के लिए जल्द ही एक फिक्स फीस तय की जाएगी। यह फीस ₹500 से 1000 होगी। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि कई मकान मालिक कानूनी पेचीदगियों और किरायेदारों के अधिक समय तक रहने के डर से अपने घरों को किराए पर देने से हिचकिचाते हैं। रेंट एग्रीमेंट के पंजीकरण की फीस 500 से 1000 रुपये तक होने के बाद बड़ी संख्या में लोग रेंट एग्रीमेंट करवाएंगे।

PSK की तर्ज पर विकसित होंगे रजिस्ट्री कार्यालय : मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) की तर्ज पर पंजीकरण कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें एसी हॉल, फर्नीचर, हेल्पडेस्क और अपॉइंटमेंट के लिए टोकन सिस्टम शामिल होंगे। मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य नागरिकों को सुखद और कुशल अनुभव प्रदान करना है। मंत्री ने कहा कि भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन तेज़ी से हो रहा है और खरीदारों को संपत्तियों के स्वामित्व और लेन-देन के इतिहास को सत्यापित करने में मदद करने के लिए क्यूआर कोड विकसित किए जा रहे है।

स्थानीय स्तर पर सही हो सकेंगी राजस्व केसों की गलतियां

NBT रिपोर्ट, लखनऊ : स्थानीय राजस्व न्यायालयों को अब राजस्व मुकदमों के पंजीकरण में होने वाली तकनीकी गलतियों को ठीक करने के लिए राजस्व परिषद पर निर्भर नही रहना होगा। बढ़ती संख्या और निस्तारण में कठिनाइयों को देखते हुए परिषद ने डीएम और कमिश्नर को भी संशोधन का अधिकार दे दिया है। इसके लिए प्रक्रिया और समयबद्धता भी तय की गई है। राजस्व मुकदमो को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए इसे रेवन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम (RCCMS) से जोड़ा गया है। इस पोर्टल पर हर मुकदमे का पंजीकरण होता है। पंजीकरण या प्रगति दर्ज करने में अधिनियम या धारा के उल्लेख में गलती होने पर पहले परिषद से एक्सेस के लिए अनुरोध करना पड़ता था, जिससे समय लगता था। शासन स्तर पर लापरवाही की शिकायतें भी थी। अब परिषद ने संशोधन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया है।

राजस्व परिषद ने डीएम/कमिश्नर को दिया संशोधन के लिए पोर्टल का एक्सेस

24 घंटे का मिलेगा एक्सेस : डीएम और कमिश्नर को पोर्टल एक्सेस की जानकारी भेजी गई है। नायब तहसीलदार से एडीएम तक डीएम की अनुमति से, और अपर आयुक्त व डीएम को कमिश्नर की अनुमति से संशोधन संभव होगा। अनुमति की अवधि 24 घटे होगी, इसके बाद एक्सेस स्वतः लॉक हो जाएगा।